

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक : मान्यता/67

/2016-2017

दिनांक : 01-04-2016

प्रबन्धक

एस0बी0डी0 पब्लिक स्कूल,
रामपुर मोहनपुरा, कासगंज।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 08.07.2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एस0बी0डी0 पब्लिक स्कूल, रामपुर मोहनपुरा कासगंज को तारीख 19.03.2016 से तारीख 18.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 अंग्रेजी माध्यम तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंध का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथस्तिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों व प्रवेश का पालन करेगा।
 4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
 5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कंप्यूटर शुल्क का संग्रहण करेगा और किसी बालक उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु को सबूत न होने के कारण प्रवेश देने इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
- (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उस विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....2 पर



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Manager

S.B.D. Public School
Rampur, Mohanpura (Kasganj)

(2)

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाधिक किये गये अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं उनके कार्य की शक्ति के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के नामों और सगियनों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समग्र रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं -
कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक सह कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक-प्रथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई

वाधारहित पहुंच

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्तिगत व्यक्तियों के समूह का संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जाती चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 0.8... (1)..... है। कृपया नोट करें लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक को उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संख्या/स्वागत प्राप्तियोग के

क्रमशः.....3 पर

Signature

Manager

S.B.D. Public School
Rampur, Mohanpura (Kasganj)




(3)

ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मानरूता संबंध शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे ॥
17. संलग्न सप्ताह के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय


(दीवान सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज 




Manager
S.B.D. Public School
Rampur, Mohanpura (Kasganj)

